

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश एफ 10(4) गुप-2/एफडी/76/ दिनांक: 13.03.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.98 एवं एफडी/ रूल्स/2010 दिनांक: 25.04.2012 के अंतर्गत श्री हनुमानदास व्याख्याता (इतिहास), राउमावि घेवडा-जोधपुर को इनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने की तिथि 16.08.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत जो अधिकतम 600/- (अखरे छः सौ रूपये मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/वाणि-इति/विकलांग वाहन भत्ता/2019

दिनांक:- 27/8/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबधित संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा.....
2. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय).....
3. संबधित मुख्य ब्लाक जिला शिक्षा अधिकारी.....
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य.....
5. संबधित कार्मिक
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर